भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

5 वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003

वर्ष 2022-23 के लिए दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

टॉप क्लास एजुकेशन और राष्ट्रीय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग वर्ष 2022-23 के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, अवसर प्रदान करता है।
ओवरसीज छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए दिव्यांग छात्रों को

2. आवेदकों के लिए निर्देश:

(i) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in की वेबसाइट (साइट का लिंक www.disabilityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है) या राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के मोबाइल ऐप पर प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास एजुकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन प्राप्त किए जाते हैं।

(ii) आवेदन भरने हेतु अनुदेशों सहित योजनाओं का विवरण www.disabilityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

(iii) आवेदकों को छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन करते समय सही जानकारी प्रदान करने की सलाह दी जाती है।

3. आवेदन के लिए समय सीमा:

(i) राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पूरे साल ऑफलाइन प्राप्त होते हैं।

(ii) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल नीचे दिए गए विवरण के अनुसार छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करने हेतु छात्रों के पंजीकरण के लिए खुला है:

नई छात्रवृत्ति (पहली बार वाले आवेदकों) और नवीकरण छात्रवृत्ति (वर्ष 2021-22 में छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वाले आवेदक) के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	i. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	30.09.2022
	ii. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति iii. टॉप क्लास छात्रवृत्ति	31.10.2022

4. पात्रता मानदंड:

i. छात्रवृत्तियां भारत के नागरिकों के लिए खुली हैं।

ii. बेंचमार्क दिव्यांगताग्रस्त कोई व्यक्ति अर्थात् न्यूनतम शताप्रतिशत दिव्यां 40वाला व्यक्ति, और जिसके पास सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए।

iii. एक ही माता पिता के दो से अधिक दिव्यांग बच्चे योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। यदि दूसरा बच्चा जुड़वा हो तो इन योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति दोनों जुड़वा बच्चों के लिए स्वीकार्य होगी।

iv. किसी भी कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। यदि किसी छात्र को एक कक्षा दोहरानी है, तो उसे उस कक्षा के लिए द्वितीय वर्ष (अनुवर्ती) हेतु छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

v. इन योजनाओं के तहत एक छात्रवृत्ति धारक कोई भी अन्य छात्रवृत्तिस्टाईपेंड/ प्राप्त नहीं करेगा। यदि उसे कोई अन्य छात्रवृत्तिस्टाइपेंड दिया जाता है /, तो छात्र अपनी दो छात्रवृत्तियों/स्टाईपेंड में से किसी एक, जो उसके लिए अधिक लाभकारी हो, के लिए विकल्प दे सकता है, और उसकी सूचना संस्थान के प्रमुख के माध्यम से छात्रवृत्ति स्टाईपेंड/ प्रदान करने वाले प्राधिकरण को देनी चाहिए।

vi. राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति हेतु, आवेदक के पास प्रासंगिक स्नातकोत्तर डिग्री) पीएचडी हेतु (या स्नातक डिग्री) स्नातकोत्तर डिग्री हेतु (में 55% अंक या समतुल्य ग्रेड होना चाहिए।

CBC 38117/11/0024/2223

No. NITK/Academic/2022-23/E4

Date: 21.09.2022

To,

The Chairman CCC, kindly arrange to upload in the Institute Website for the information of the respective students.

Assistant Registrar (Academic)
National Institute of Technology
Karnataka, Surathkal
Srinivasnagar, Mangalore-575 025

Asst. Registrar (Academic)